


103



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-सिंगरौली

सिंगरौली/भू-रा/2017/4869 1

- 1 बाबूराम पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
निवासी - ग्राम कचनी पेट्रोल पंप के पास
जिला - सिंगरौली (म.प्र.)
- 2 लालजी पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
- 3 रामजी पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
- 4 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
- 5 रामरक्षा पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
- 6 रामप्रकाश पुत्र श्री सूर्यलाल जायसवाल
निवासीगण - ग्राम भाउखाड़ तहसील व
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1 सुरपतिया पत्नी शंकर कलार
निवासी - ग्राम कुम्हिया तहसील भाड़ा
जिला - सिंगरौली म.प्र.
- 2 नर्वदा प्रसाद पुत्र श्री हीरा लाल पाण्डे
निवासी - टोटो टोला तहसील व जिला
सिंगरौली म.प्र.
- 3 सालिक राम पुत्र श्री राजनाथ कलार
- 4 मोहन सिंह पुत्र श्री ददई सिंह गौड
निवासी - कुम्हिया तहसील भाड़ा जिला -
सिंगरौली म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक
15/अ-5/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2017 के विरुद्ध
म.प्र. भू-राजस्त संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदिका क्रमांक 1 सुरपतिया पत्नी शंकर कलार द्वारा एक आवेदन
पत्र कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष प्रस्तुत कर बताया कि पुराना
आराजी नं. 75 रकवा 3.246 है0 मौजा कुम्हिया तहसील भाड़ा जिला

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2017/4869

बाबूराम विरूद्ध सुरपतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 15/अ-5/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 11-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 05/3/2019</p>